सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 7- जल उपभोक्ता समिति द्वारा जल मापन तथा जल वितरण

विषय 7.2 जल वितरण (वार बंदी) का परिचय तथा इतिहास

विषय 7.2

जल वितरण (वार बंदी) का परिचय तथा इतिहास

<u>मॉड्यूल 7 के विषय:</u>

7.1 जल मापन का उद्देश्य, जल मापन यंत्र तथा इकाइयाँ

7.2 जल वितरण (वार बंदी) का परिचय तथा इतिहास

7.3 जल वितरण सारणी (वार बंदी) बनाना तथा लागू करना

7.4 वारबंदी के नए आयाम

1. पृष्ठभूमि

कुलाबा अथवा आउटलेट के कमांड क्षेत्र में खेती कर रहे प्रत्येक कृषक को आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई जल उपलब्ध कराना सिंचाई प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। सिंचाई प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि सिंचाई जल का किफायती और वैज्ञानिक उपयोग हो जो इस बात पर निर्भर है कि सिंचाई जल का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है और उसकी वसूली किस तरह की जाती है।

भारत के विभिन्न राज्यों में सिंचाई जल वितरण के तौर-तरीके व्यापक रूप से भिन्न हैं , जिनकी संक्षिप्त चर्चा नीचे की गई है:

I. ***वारबन्दी:*** पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक कुलाबा अथवा आउटलेट के कमांड मे स्थित सभी किसानों को उनकी जोत के अनुपात में सिंचाई का समय निर्धारित कर दिया जाता है। इस विधि को ओसरा बंदी अथवा वारबन्दी कहते हैं। प्रत्येक किसान से बोई गई फसल तथा उसके सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर फसलवार सिंचाई दरें निर्धारित की जाती है, भले ही एक बार अथवा एक से अधिक बार सिंचाई की गई हो। वारबंदी को नार्दर्न इंडिया नहर एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 के तहत कानूनी मंजूरी है।

II. ***शेजपाली:*** महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के हिस्से में, किसानों को विशिष्ट फसलों और क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मौसम में सिंचाई के लिए आवेदन करना होता है। सिंचाई विभाग पानी की उपलब्धता के अनुरूप जितनी मांग संतुष्ट कर सकता है उन आवेदनों को मंजूरी देता है। मंजूर किए गए आवेदनों की फसलों को सिंचाई जल की आपूर्ति परिपक्वता तक दी जाती है । प्रत्येक आउटलेट के नीचे किसानों को बारी-बारी से पानी दिया जाता है । किसानों को स्वीकृत सिंचाई के लिए फसल क्षेत्र आधारित सिंचाई शुल्क का भुगतान करना होता है। शेजपाली को बॉम्बे इरिगेशन एक्ट-1879 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है , जो गुजरात के लिए बुनियादी सिंचाई कानून बना हुआ है। 1976 के महाराष्ट्र सिंचाई अधिनियम द्वारा भी शेजपाली को सिंचाई प्रबंधन के लिए बुनियादी दृष्टिकोण के रूप में मान्यता दी गयी है।

III. ***भूमिवर्ग*** : तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से में, भूमि को जल अधिकार सौंपे गए हैं। कुछ भूमियॉ प्रति वर्ष दो धान की फसलों की हकदार हैं; तथा अन्य भूमियॉ प्रति वर्ष केवल एक फसल की हकदार है। फसलों को परिपक्वता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त और समय पर सिंचाई जल आपूर्ति की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है। जल शुल्क का मूल्यांकन भूमि के जल अधिकारों के आधार पर किया जाता है और भूमि कर के एक भाग के रूप में एकत्र किया जाता है।

IV. ***सट्टा / सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र-*** बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में किसान एक प्रस्तावित फसल के लिए हर मौसम में पानी के लिए आवेदन करते हैं । बिहार में, अधिकांश नहर कमान की पहचान "सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र" के रूप करते हुए आवेदन जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

इस "सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र" के भीतर, सिंचाई विभाग पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है ताकि प्रस्तावित फसल को परिपक्वता तक लाया जा सके। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र के भीतर प्रत्येक किसान को सिंचाई शुल्क का भुगतान करना होता है, भले ही वह पानी लेता है या नहीं । सट्टा प्रणाली के 'बंगाल सिंचाई अधिनियम 1876' पर आधारित है, जो अभी भी बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए बुनियादी सिंचाई कानून बना हुआ है।

2. जल वितरण (वार बंदी) का परिचय

ओसराबंदी अथवा वारबंदी , कुलाबा अथवा आउटलेट कमांड के अंतर्गत, किसानों के मध्य पानी के बँटवारे की एक विधि है जिसमे किसान की कुलाबा से पानी लेने की बारी को उसकी जोत के अनुसार तय किया जाता है। इस विधि में एक सिंचन सारणी बनाई जाती है जिसमें प्रत्येक कृषक का सिंचाई जल प्राप्त करने का दिन , सिंचाई की अवधि एवं सिंचाई का समय (वारबन्दी) आवंटित होता है। इससे किसान को पहले से पता रहता है कि उसके खेत में पानी कब पहुंचेगा और उसे कितने समय के लिए सिंचाई जल प्राप्त करना है। इस प्रकार वह अपने समय , सिंचाई संसाधनों व फसल का नियोजन इस प्रकार करता है कि उसे फसल की आवश्यकता के अनुसार पानी प्राप्त हो जाए।

यह प्रणाली उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के बडे हिस्सों में सफलता पूर्वक चल रही थी परन्तु वर्तमान में इसका व्यावहारिक प्रचलन, कतिपय कारणों से जिनकी चर्चा आगे करेंगे, समाप्त हो रहा है।

3. वारबन्दी की आवश्यकता:

3.1 नहर सिंचाई एक सामूहिक सिंचाई व्यवस्था है, अतः एक ही समय पर एक से अधिक किसानो को पानी की आवश्यकता हो सकती है। परंतु, नहरो की वहन क्षमता उतनी नहीं होती कि शत प्रतिशत किसानो को एक साथ पानी वितरित किया जा सके । सभी किसानो की आवश्यकता बारी बारी

से ही पूरी की जा सकती है, न कि एक साथ । ऐसी स्थिति में वारबंदी के अतिरिक्त विकल्प नहीं है।

3.2 कुछ किसान अपने सामाजिक प्रभाव या कुलाबा कमान क्षेत्र में उनके खेत की सुविधा जनक स्थिति के कारण पानी का मनमाना उपयोग करने लगते हैं और अपने हिस्से के पानी प्रयोग करने के बजाय अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये उसका दोहन करने लगते हैं। इसके फलस्वरुप कुछ किसान अपनी जरुरत से ज्यादा पानी लेते हैं वहीं कुछ किसानों को बहुत कम पानी मिल पाता है।

जिन क्षेत्रों में जरूरत से कम या ज्यादा पानी लिया जाता है। उन क्षेत्रों में फसल उत्पादन में गिरावट आती है। बहुत अधिक पानी लेने पर भी भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती हैं। वारबन्दी में पानी के बंटवारे और किसानों में आये अनुशासन के कारण काफी हद तक खेतों में पानी का बेहतर उपयोग हो पाता है।

3.3 वारबन्दी प्रणाली में किसान का खेत कमान क्षेत्र में चाहे कहीं भी स्थित हो, उसके खेत के रकबे के अनुपात में पानी की मात्रा निर्धारित की जाती है और साथ ही उसे पानी किस दिन, किस समय और कितने समय के लिये मिलेगा यह भी सुनिश्चित किया जाता है। यानी हर किसान को उसके पानी लेने की बारी, दिन और समय मालूम रहता है। इस जानकारी के आधार पर वह अपने सिंचाई संसाधनों तथा फसल का नियोजन उचित ढंग से कर सकता है।

3.4 वारबन्दी व्यवस्था सिंचाई विभाग के कर्मचारी, परियोजना प्रबंधन समिति, तथा जल उपभोक्ता समिति (यदि गठित है), के द्वारा मिलकर तैयार की जाती है। एक बार तैयार होने के पश्चात् इसे सभी जल उपभोक्ता समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है जिससे किसान उसके अनुसार अपनी फसल की तैयारी कर लें । इस प्रकार पूरी सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रणाली में वारबन्दी बहुत महत्वपूर्ण है। सशक्त जल उपभोक्ता समिति या

किसानों से परामर्श करके स्वयं बार बंदी के नियम तथा सिंचाई सारणी बनाती हैं तथा उसे लागू करती हैं।

4. वाराबन्दी के लाभ -

- किसानों को समय से पानी मिल जाता है।
- पानी की अनुशासित व्यवस्था
- किसान की फसल की सुनिश्चितता।
- किसान के समय की बचत ।
- वाद विवादों में कमी।
- पानी का बेहतर उपयोग।
- बिना गेट के कुलाबे में भी बेहतर प्रबंधन।
- किसानों के खेत में पानी लेने के कारण पानी की बर्बादी में कमी।
- पानी समय से मिलने के कारण नहरों का तोड़-फोड़ न होना।
- किसान को फसल चयन की पूरी स्वतंत्रता।
- पानी के प्रबंधन में स्वामित्व की भावना का विकास।

अभ्यास 1: -

वारबंदी के कोई 4 लाभ लिखें. अपने उत्तर का मिलान पाठ में दिए गए लाभों से करें.

5. वाराबंदी का इतिहास:

वाराबंदी का इतिहास कृषि में जल के महत्व को समझने के साथ ही प्रारम्भ हो गया होगा, क्योंकि इस प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता तो सब को एक साथ हो सकती है, परन्तु आपूर्ति एक साथ करना कठिन है. इसी सिद्धांत के चलते, जैसा उपरोक्त पैरा-1 मे उल्लेख किया गया है जल वितरण की विभिन्न व्यवस्थाएँ नामश: वारबंदी, , शेजपाली , भूमि वर्ग तथा सट्टा व्यवस्था का प्रारंभ हुआ.

महाराष्ट्र में इसे शेजपाली के नाम से जाना जाता है क्योंकि अपनी बारी आने पर कृषक अपनी शेज (चारपाई) लेकर सिंचाई के लिए जाते थे. ईरान जिसे पहले फारस (पर्शिया) कहा जाता था में रहट (पर्शियन व्हील) द्वारा सिंचाई का आरम्भ होने के साथ ही उस रहट से सिंचाई करने वाले किसान आपस में निर्णय करके तय कर लेते थे तथा जब जिसको सिंचाई की आवश्यकता होती थी सामंजस्य बैठाकर सिंचाई कर लेते थे. जिन जिन क्षेत्रों में रहट या पर्शियन व्हील का प्रयोग फैलता गया ये व्यवस्था लागू होती गई. इसके क्षेत्र में वर्तमान ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत आये और इन देशों में वारबंदी का यह स्वरूप लागू होता रहा. दक्षिण भारत में टांका (टैंक) / तालाब सिंचाई प्रचलन में थी वहां भी कृषकों ने सिंचाई के लिए बारी बारी की व्यवस्था अपनाई. दक्षिण में जब चोल राजाओं ने एनीकट (वीयर) बनाकर नहर निकाली तथा उसकी देख रेख की व्यवस्था ग्रामीण मंदिर समिति को सौंपी तो समिति ने जल वितरण के लिए प्रत्येक फसल सत्र में कृषकों की बैठक बुलाकर सामंजस्य से बारी बारी सिंचाई की व्यवस्था अपनाई. दक्षिण भारत में नीरकुट्टी पदनाम से एक आदमी रखा जाता था जो किसानो के मध्य जल वितरण की देख भाल करता और जल वितरण करता था. ये व्यवस्थाएं कृषकों द्वारा ही तय की जाती थी तथा क्रियान्वित की जाती थीं, इनमे राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था.

भारत में नहरी सिंचाई व्यवस्था अंग्रेजी सरकार द्वारा विकसित की गई जिन्होंने जल संसाधनों को सरकारी सम्पति मानकर उसका प्रबंधन किया । उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम 1873 के अंतर्गत लाभार्थी कृषकों को आपसी रजामंदी से वारबंदी लागू करने का अधिकार दिया है फिर भी किसानों के बीच वाद विवाद अथवा मतैक्य न होने से अधिशासी अभियंता इसी अधिनियम के अंतर्गत कृषकों के प्रार्थना पर वारबंदी निर्धारित कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा प्रकाशित वारबंदी / ओसराबंदी व्यवस्था के इतिहास में अंकित किया गया है कि उत्तरी गंग नहर के मेरठ डिवीज़न के कृषक ने एक एप्लीकेशन देकर शिकायत की कि अमुक ग्राम के खेत मेरे ग्राम के खेतों से पहले पड़ने के कारण मेरे ग्राम के खेतों के लिए पानी नही आने देते. कृपया हमारी सिंचाई की व्यवस्था की जाय . खंड के अधिशासी अभियंता ने दोनों ग्राम के कुलाबा कमांड के क्षेत्र के आधार पर साप्ताहिक समय निर्धारित कर दिया. बाद में जब ग्राम के अन्दर भी कृषकों के सिंचाई जल के लिए विवाद खड़े हुए तो थोक वार (समूह आधारित) वारबंदी प्रारंभ हुई जो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में खेत वार वाराबंदी के वर्तमान स्वरुप में आई।

अभ्यास 2 :-

वारबंदी नयी व्यवस्था है अथवा पुरानी? क्या पुराने समय में सरकारी हस्तक्षेप होता था? अपने उत्तर का मिलान पाठ में दिए गए तथ्यों से करें।